न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

दावा–पत्र संख्या :–210 / 2022 दायर दिनांकः 22.08.2022

CMS NO:- 2022/373 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

नारायण आ0 गोकल जाति गुर्जर नि0 भण्डेडा तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थी

बनाम

1. फौरक्या उर्फ रामप्रसाद आ0 पोखर जाति गुर्जर नि0 गुजरिया खेडा हाल भण्डेडा तहसील नैनवॉ।
2. लटूर आ0 कजोड जाति गुर्जर नि0 माधोराजपुरा (भण्डेडा) तहसील नैनवॉ। (अपीलाण्ट)
3. गोपीबाई पत्नी स्व0 कजोड जाति गुर्जर नि0 माधोराजपुरा (भण्डेडा) तहसील नैनवॉ। (अपीलाण्ट)
4. सरोज पुत्री कजोड पत्नी राधेश्याम जाति गुर्जर हाल नि0 दुगारी तहसील नैनवॉ। (अपीलाण्ट)
5. खानी पुत्री कजोड पत्नी घनश्याम जाति गुर्जर हाल नि0 दुगारी तहसील नैनवॉ। (अपीलाण्ट)
6. मन्जू पुत्री कजोड जाति गुर्जर नि0 भण्डेडा तहसील नैनवॉ। (अपीलाण्ट)
7. लाड पुत्री कजोड पत्नी सत्यनारायण जाति गुर्जर नि0 माधोराजपुरा (भण्डेडा) तहसील नैनवॉ। (अपीलाण्ट)
8. ममता पुत्री कजोड पत्नी उम्मेद जाति गुर्जर नि0 भगतसिंह चौराहा नैनवॉ। (अपीलाण्ट)
9. शोजी आ0 धुला जाति गुर्जर नि0 गुजरियाखेडा हाल नि0 भण्डेडा (माधोराजपुरा) तहसील नैनवॉ।
10. राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार साहब नैनवॉ जिला बून्दी।
11. सिंचाई विभाग द्वारा श्रीयुत सहायक अभियन्ता महोदय, सिंचाई उपखण्ड नैनवॉ।

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपरिथति–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह नरुका।

अप्रार्थीगण / अपीलाण्ट्स संख्या 2 लगायत 8 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ठाकौर।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.06.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क के तहत् इस न्यायालय मे पेश किया गया था जिसमे प्रार्थी द्वारा ग्राम भण्डेडा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी की जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या नया 55 की कृषि भूमि खसरा संख्या 276 रकवा 2 बीघा 2 बिस्वा, 277 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 880 / 278 रकवा 2 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 3 बीघा 16 बिस्वा जो कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि है, मे मे जाने का एकमात्र रास्ता सरकारी रास्ते खसरा नम्बर 236 मे होकर खसरा नम्बर 260 (चारागाह) मे होकर खसरा नम्बर 263 की दक्षिणी मेर पर होकर खसरा नम्बर 264 व 265 के बीच की मेर पर होता हुआ खसरा नम्बर 270 व 264 की दक्षिणी मेर पर होकर उत्तर की तरफ मुडकर खसरा नम्बर 270 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे होकर धोरा खसरा नम्बर 280 मे होकर खसरा नम्बर 272 व 279 के बीच की मेर पर होकर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 277, 276 मे प्रवेश करता है, पर परिशिष्ट क मे लाल स्याही से दर्शाये गए रास्ते अनुसार रास्ते दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। साथ ही निवेदन किया गया था कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खातेदारी खेत मे पहुंचने के लिए अन्य कोई दुसरा रास्ता उपलब्ध नही है। उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से तत्समय अधिवक्ता श्री नरेश कुमार मीणा, अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 की ओर से तत्समय अधिवक्ता श्री शम्भू लाल नागर एवं अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से तत्समय अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ठाकौर, अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से तत्समय अधिवक्ता श्री भारत भुषण गौत्तम द्वारा जवाब पेश किये गए तथा पूर्ण सुनवाई की जाकर दिनांक 24.11.2021 को बहस पक्षकारान सूनी जाकर प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 276, 277, 880 / 278 पर पहुंचने

के लिए खसरा नम्बर 265, 264, 269, 920/270, 270, 279, 278 मे से तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2021 को पारित निर्णय की अपील अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के यहां की गयी जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय ने प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं निर्णय मे कहीं यह स्पष्ट नही है कि रेस्पोडेंट की भूमि पर पहुंचने के लिए पूर्व से ही अन्य वैकल्पिक रास्ता है अथवा नही। जबकि अपीलाण्ट की मुख्य आपत्ती यह कि पूर्व ही रेस्पोडेंट के खाते की आराजी पर पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग मौजुद है। इस आपत्ती पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.7.2022 को निर्णय पारित कर इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 24.11.2021 को निरस्त कर अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया।

माननीय न्यायालय राजस्व द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 15.7.2022 की पालना मे पत्रावली दिनांक 22.08.2022 को पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलाण्ट को तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह नरूका एवं अपीलाण्टस की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ठाकौर ने उपस्थित होकर वकालातनामा पेश किया गया। तहसीलदार नैनवॉ द्वारा दिनांक 16.5.2025 से माननीय न्यायालय मे अपीलाण्ट्स की ओर से वैकल्पिक रास्ते के संबंध मे लगायी गयी आपत्ती बावत् रिपोर्ट पेश की गयी। अपीलाण्ट्स/अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र आपत्ती मौका रिपोर्ट पेश कर प्रत्यार्थीगण के बिना उपस्थिति मे ही मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश करने से पुनः मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकार किया जाकर पक्षकारान अधिवक्तागण को दिनांक 13.6.2025 को पक्षकारान की मौजुदगी मे मौका देखने का आदेश बावत् सूचित किया जाकर भू0अ0निरीक्षक बांसी व पटवारी हल्का भण्डेडा को पक्षकारान की मौजुदगी मे वैकल्पिक रास्ते के संबंध मे रिपोर्ट तैयार कर पेश करने हेतु लिखा गया जिस पर भू0अ0निरीक्षक बांसी एवं पटवारी हल्का भण्डेडा की रिपोर्ट दिनांक 16.6.2025 को प्राप्त हुई।

आज दिनांक 17.6.2025 को बहस सूनी गयी जिसमे प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय को बहाल रखे जाने व अपीलाण्टस अधिवक्ता द्वारा बार बार आपत्ती लगाने से प्रकरण मे अनावश्यक विलम्ब करने से पत्रावली मे निर्णय पारित कर रास्ता दिया जाने का निवेदन किया। जिस पर अपीलाण्ट्स विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र आपत्ती मौका रिपोर्ट पेश कर भू0अ0निरीक्षक बांसी श्री ललित कुमार के अलावा अन्य से मौका रिपोर्ट तलब करने बावत् निवेदन किया। जिस पर पुनः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि अपीलाण्ट्स अधिवक्ता द्वारा पत्रावली मे बार बार मौका रिपोर्ट तलब करने बावत निवेदन किया जाकर पत्रावली मे अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है जबकि वैकल्पिक रास्ते के संबंध मे दो बार रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्राप्त हो चुकी है अतः अपीलाण्ट्स अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ती मौका रिपोर्ट अस्वीकार फरमाकर पत्रावली मे पुर्व मे प्रार्थी को दिये गए रास्ते के आदेश को बहाल रखा जावे।

हमने विद्वान पक्षकारान द्वारा की गयी बहस का मनन किया। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो, माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के निर्णय, तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, भू0अ0निरीक्षक बांसी व पटवारी हल्का भण्डेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन व अवलोकन किया तथा पाया कि ग्राम भण्डेडा स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बरान 276, 277 एवं 880/278 पर पहुंचने के लिए इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 24.11.2021 से खसरा नम्बरान 265, 264, 269, 920/270, 270, 279, 278 मे से जो रास्ता दिया गया था, के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अतः अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा आज दिनांक 17.6.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ती मौका रिपोर्ट अस्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–39 / 2020 दायर दिनांक: 04.06.2020

GCMS NO:- 2020/00086

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

नारायण पुत्र गोकल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भण्डेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

1. फौरक्या उर्फ रामप्रसाद पुत्र पोखर जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुजरिया खेडा हाल निवासी ग्राम भण्डेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. लटूर पुत्र कजौड जाति गुर्जर निवासी ग्राम माधोराजपुरा (भण्डेडा) तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. गोपी बाई पत्नी कजोड जाति गुर्जर निवासी ग्राम माधोराजपुरा (भण्डेडा) तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. सरोज पुत्री कजोड पत्नी राधेश्याम जाति गुर्जर हाल निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. खानी पुत्री कजोड पत्नी घनश्याम जाति गुर्जर हाल निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. मन्जू पुत्री कजोड जाति गुर्जर निवासी ग्राम भण्डेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. लाड पुत्री कजौड पत्नी सत्यनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम माधोराजपुरा (भण्डेडा) तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. ममता पुत्री कजोड पत्नी उम्मेद जाति गुर्जर हाल निवासी भगतसिंह चौराहा, नैनवॉ जिला बून्दी।
9. शोजी पुत्र धूला जाति गुर्जर निवासी हाल ग्राम माधोराजपुरा (भण्डेडा) तहसील नैनवां जिला बून्दी।
10. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।
11. सिंचाई विभाग द्वारा श्रीयुत सहायक अभियन्ता महोदय सिंचाई उपखण्ड नैनवॉ तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 24.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम भण्डेडा पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 55 के खसरा संख्या 276 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 277 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा संख्या 880 / 278 रकबा 02 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। इस भूमि को प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 5–6 वर्ष पूर्व क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। यह कि ग्राम भण्डेडा पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैनवां में अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 270 रकबा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 278 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा संख्या 279 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम भण्डेडा पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैनवां में अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 264 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 265 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम भण्डेडा पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैनवां में राजकीय चारागाह की भूमि खसरा संख्या 260 रकबा 3

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 262 रकवा 07 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा संख्या 263 रकवा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है। यह कि ग्राम भण्डेडा में ही गै0 मु0 धोरा खसरा संख्या 271 रकवा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 280 रकबा 15 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड में सिंचाई विभाग अप्रार्थी संख्या 11 के खातेदारी में दर्ज है। यह कि ग्राम भण्डेडा पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैनवां में अप्रार्थी संख्या 9 के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 272 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में आने जाने का रास्ता खसरा संख्या 236 में होकर खंसरा संख्या 260 चारागाह में होकर खसरा संख्या 263 की दक्षिणी मेड पर होकर खसरा संख्या 264 व 265 के बीच की मेर पर होता हुआ खसरा संख्या 270 व 264 की दक्षिणी मेंर पर होकर उत्तर की तरफ मुडकर खसरा संख्या 270 की उत्तरी मेर के सहारे सहारे होता हुआ धोरा खसरा संख्या 270 में होकर खसरा संख्या 272 व 279 के बीच की मेर पर होकर प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 277, 276 में पहुंचता है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट क में लाल लाइनों के मध्य दर्शाया है। यह कि अप्रार्थीगण 2 लगायत 8 ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित चारागाह भूमि खसरा संख्या 260, 263 व 262 पर अवैध एवं अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लोहे का गेट लगाकर बलपूर्वक रास्ता अवरूद्व कर दिया है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट क,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी को रास्ता दिया न्यायोचित है। अप्रार्थी संख्या 11 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सिंचाई विभाग की भूमि खसरा संख्या 271 व 280 गै0 मु0 नहरी जल संसाधन हेतु सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिसे नियमानुसार रास्ते की भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है लोहे का गेट स्वयं की जमीन पर फसलो को जानवरों से बचाने के लिए लगा रखा है। अप्रार्थी संख्या 9 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जवाब प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ख में लाल स्याही से प्रदर्शित दूसरा रास्ता स्वयं प्रार्थी के लिए आसान व कम दूरी का रास्ता है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 260, 263, 265, 264, 269, 920/270, 270, 280, 279 व 278 की भूमि उपयोग में आयेगी। यह कि खसरा संख्या 260 चारागाह रकवा 3 बिघा 07 बिस्वा में से (रकवा 528 फीट • 13.2 फीट = 6969.60 वर्गफीट व 52.8 फीट • 6.6 फीट = 348.48 वर्गफीट) अर्थात 7318.08 वर्गफीट, खसरा संख्या 263 चारागाह रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा में से रकबा 132 फीट • 6.6 फीट = 871.2 वर्गफीट, खसरा संख्या 265 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा में से रकबा 224.4 फीट • 6.6 फीट = 1481.04 वर्गफीट, खसरा संख्या 264 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा में से रकबा 257.4 फीट • 6.6 फीट = 1698.84 वर्गफीट, खसरा संख्या 269 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा में से रकबा 46.2 फीट • 6.6 फीट = 304.92 वर्गफीट, खसरा संख्या 920/270 रकबा 07 बिस्वा में से रकबा 59.4 फीट • 13.2 फीट = 784.08 वर्गफीट, खसरा संख्या 270 रकबा 13 बिस्वा में से रकबा 171.6 फीट • 13.2 फीट = 2265.12 वर्गफीट, खसरा संख्या 280 गै0 मु0 नहरी रकबा 15 बिस्वा में से रकबा 19.8 फीट • 13.2 फीट = 261.36 वर्गफीट, खसरा संख्या 279 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा में से रकबा 1.65 फीट • 13.2 फीट = 21.78 वर्गफीट तथा खसरा संख्या 278 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा में से रकबा 151.8 फीट • 13.2 फीट = 2003.76 वर्गफीट भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ते खसरा संख्या 260 चारागाह है। चारागाह के पास प्रार्थी के खाते की कोई भूमि नहीं है। खसरा सख्या 312 रकबा 1 बीघा गै0 मु0 रास्ता दर्ज है जो खसरा संख्या 395 रकवा 06 बिस्वा दर्ज रास्ते से नहीं मिलता है। बीच में खाते के खेत है एंव खसरा संख्या 312 प्रार्थी के खेत से भी नहीं मिलता है, बीच में खेत है। दोनो टुकडो की लम्बाई लगभग 86 गठ्ठा है।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

खसरा संख्या 260 की पश्चिमी मेड पर ग्रेवल रोड बना हुआ है जिसे नक्शे में हरी स्याही से दर्शाया गया। प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाव प्रार्थना पत्र एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट सादेडा में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम भण्डेडा पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 55 के खसरा संख्या 276 रकवा 02 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 277 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा संख्या 880/278 रकबा 02 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 3 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 265 रकवा 01 बीघा 13 बिस्वा में से रकवा 224.4 फीट • 6.6 फीट = 1481.04 वर्गफीट, खसरा संख्या 264 रकवा 03 बीघा 07 बिस्वा में से रकवा 257.4 फीट • 6.6 फीट = 1698.84 वर्गफीट, खसरा संख्या 269 रकवा 02 बीघा 19 बिस्वा में से रकवा 46.2 फीट • 6.6 फीट = 304.92 वर्गफीट, खसरा संख्या 920/270 रकवा 07 बिस्वा में से रकबा 59.4 फीट • 13.2 फीट = 784.08 वर्गफीट, खसरा संख्या 270 रकबा 13 बिस्वा में से रकबा 171.6 फीट • 13.2 फीट = 2265.12 वर्गफीट, खसरा संख्या 279 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा में से रकबा 1.65 फीट • 13.2 फीट = 21.78 वर्गफीट तथा खसरा संख्या 278 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा में से रकबा 151.8 फीट • 13.2 फीट = 2003.76 वर्गफीट भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'अ' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

ग्राम मण्डेड़ा
1 इंच = 2 जरीब
1 जरीब = 132 फिट

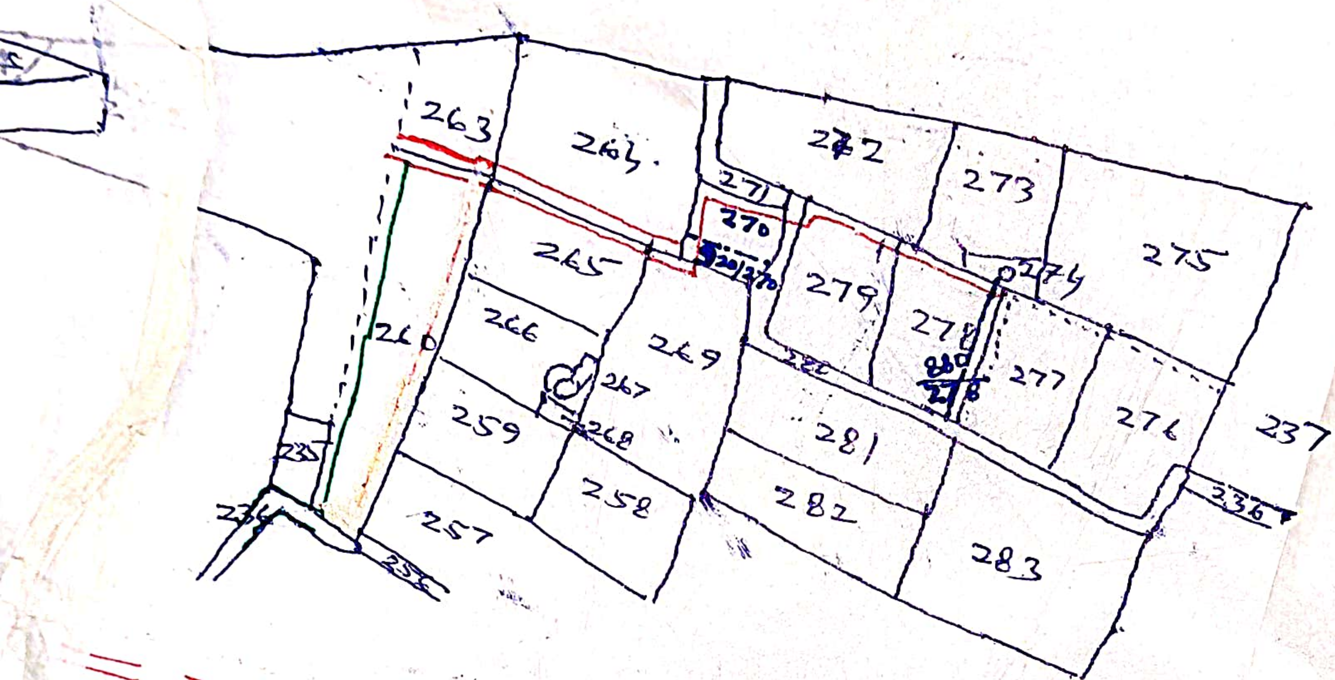

= प्रस्तावित रास्ता
= रास्ता जो मौके पर मौजूद है

राजमार्ग हेतु नि:शुल्क जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

सत्य प्रतिलिपि
29/04/2021
पटवारी
पटवार मण्डल मण्डेड़ा
तहसील नैनवां